कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

//आदेश//

क्रमाँक **25**/दो–11–6/2008(PART-II) बैकुण्ठपुर, दिनाँक 05.01.2024

इस न्यायिक जिला स्थापना अंतर्गत स्थापना अंतर्गत कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले आकस्मिकता निधि कर्मचारी श्री शिवकिंकर नेताम के द्वारा सेवा से त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप उसी श्रेणी के चौकीदार के उम्मीद्वार को उनके नाम के समक्ष कण्डिका 04 अनुसार पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः अस्थाई रूप से नीचे वर्णित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क्र0	चयनित उम्मीद्वारों का नाम एवं पता	श्रेणी	नवनियुक्त पदनाम	चयन श्रेणी	वेतनमान
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	श्री राजेश कुमार पिता स्व0 श्री लुल्हन राम, ग्राम+ पोस्ट–जजगा (कठरापारा) थाना–सीतापुर, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा (छ0ग0) पिन–497111	अनुसूचित जनजाति	चौकीदार	अनुसूचित जनजाति (दिव्यांग)	कलेक्टर दर

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

शर्तें :–

1. अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना कार्यालय को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा । इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा ।
2. चयनित उम्मीद्वारों को आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिवस के भीतर आवश्यक रूप से अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा । यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता है तो नियुक्ति आदेश संबंधित के संबंध में स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
3. कार्यभार ग्रहण करने के दिन ही वे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण पत्रों सहित अवश्य प्रस्तुत करें । यदि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त की जा सकेगी ।

4. चयनित उम्मीद्वार मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निष्पादित स्वस्थता का प्रमाण–पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगे जिसका व्यय संबंधित को स्वयं वहन करना होगा।
5. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण–पत्र प्रतिकूल होने की स्थिति में यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जा सकेगा ।
6. उन्हें अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा । पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में संबंधित के संबंध में नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
7. सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगे तथा बिना पूर्व अनुमति अध्ययन जारी नहीं रखेंगे ।

sd/-

(आनंद कुमार ध्रुव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

पृ0क्रमॉंक 67 /दो–11–6/2008(PART-II) बैकुण्ठपुर, दिनॉंक 05.01.2024

प्रतिलिपि :–

1. श्री राजेश कुमार पिता स्व0 श्री लुल्हन राम, ग्राम+पोस्ट–जजगा (कठरापारा) थाना–सीतापुर, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा (छ0ग0) पिन–497111 ।
2. लेखापाल/देयक लिपिक कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित् है ।

05/01/2024

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया (बैकुण्ठपुर) छ0 ग0